सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 201/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :—21.09.2023

GCMS ID—2023/358

उनवान

1. दुर्गालाल आ0 मांगीलाल जाति मीणा नि0 गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. पुष्पाबाई पत्नी दुर्गालाल जाति मीणा नि0 गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोकुल आ0 मूलचंद जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. छोटू आ0 मूलचंद जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. जगदीश आ0 मूलचंद जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. ~~बलवीर आ0 मूलचंद जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी~~
5. बंशी आ0 मूलचंद जाति मीणा निंवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. प्रभू आ0 मूलचंद जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

6/1. मुकेश आ0 प्रभूलाल जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

6/2. देशराज आ0 प्रभूलाल जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

6/3. कुलदीप आ0 प्रभूलाल जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

6/4. मोत्या बाई पत्नी प्रभूलाल जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

7. हीराबाई पुत्री मूलचन्द पत्नी रामलाल जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा हाल निवासी तलोदा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
8. नंदू बाई पुत्री मूलचंद पत्नी मथुरालाल जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा हाल निवासी तलोदा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
9. जमना पत्नी मूलचंद जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
10. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :— एक पक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

आदेश दिनांक : 11.06.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 10 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 18 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 22 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 23 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 24 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 313 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 544/429 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 545/429 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 555/434 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 9 रकबा 0.3642 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.1116 हैक्टेयर वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 546/429 के समीप उत्तरी साईड पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 547/429 स्थित है। इस प्रकार अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 प्रार्थी की भूमि के पडौसी है। प्रार्थीगण की भूमि के सहारे खसरा संख्या 432 गै0मु0 रास्ता स्थित है जिस पर मौके पर सडक बनी हुई है इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 546/429, 545/429 व 544/429 रास्ता/सडक के समीप है। भूमि का नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 546/429 व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 547/429 के मध्य कोई मुश्तकिम निशान नहीं है और दोनों की भूमि के मध्य कोई स्थायी निशान नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने व मेडो को तोडने का प्रयास करते है तथा रास्ता/सडक खसरा संख्या 432 की सीमा की तरफ आये दिन प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने व जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से पडौसी होने के कारण आपसी सहमति से भूमि की पत्थरगढी करवाने का दिनांक 15.06.2023 को निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने में इंकार हो गये और प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम तुम्हारी भूमि खसरा संख्या 546/429, 545/429, 544/429 की भी पत्थरगढी नहीं करने देंगे और तुमने पत्थरगढी करवाने का प्रयास किया तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोंडेंगे। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 546/429, 545/429, 544/429 की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की मौजूदगी में करवावे। प्रार्थीगण अपनी भूमि की अप्रार्थीगण की मौजूदगी में पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर सुरक्षा दीवार करना चाहते है। प्रार्थीगण पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार की द्वेषता व विवाद नहीं करना चाहते है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की मौजूदगी में अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण पत्थरगढी का शुल्क नियमानुसार जमा कराने को

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तत्पर है। भूमि ग्राम गोरधनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से भूमि की पत्थरगढी के प्रकरण का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार हिण्डोली को अप्रार्थी संख्या 10 बनाया गया है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 546/429, 545/429, 544/429 वाके ग्राम गोरधनपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा की अप्रार्थीगण की मौजूदगी में पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुंत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 09 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। बहस वकील प्रार्थीगण मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम गोरधनपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 39 व 49 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 39 के खसरा सं0 544/429 रकबा 0.8094 हैक्टेयर खसरा संख्या 545/429 रकबा 0.8094 व खाता संख्या 49 के खसरा संख्या 546/429 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम गोरधनपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांकः–11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446